फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थीगण

श्रीमति हंजा पुत्री पुराजी जाति जणवा चौधरी
नि0 डूगरली तहसील बाली जिला पाली (राज0) वगैरा

बनाम

अप्रार्थीगण

केसाराम पुत्र पुराजी जाति जणवा चौधरी
निवासी डूँगरली तहसील बाली जिला पाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं0 47/2019
वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31.07.2019	वकील प्रार्थीगण श्री हनुमानसिंह चौहान उपस्थित। प्रार्थीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 25/2019 बअनवान हंजा वगैरा बनाम डूँगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लंबित रहते हुये उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद एवं वादी संख्या–05 द्वारा पुर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 40/2018 अनवान दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित भूमि एक ही हैं, पक्षकारान् भी एक ही हैं। पुर्व वाद विभाजन का वाद है, तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नया वाद 25/2019 पुश्तैनी भूमि के संबध में घोषणा का वाद हैं। पुर्व के वाद में प्रार्थीगण को पक्कार नहीं बनाया गया जबकि प्रार्थीगण भी उस वाद में हितबद्ध पक्षकार है। प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना वादी दुदाराम वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से बंटवाडा कराने का अधिकारी नही बनता हैं। अपने प्रार्थना पत्र में अंत में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि एवं पक्षकार एक ही होने से प्रार्थी के वाद का निस्तारण पुर्व प्रस्तुत वाद सं0 40/2018 अनवान दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा के साथ किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। यदि दोनो वादो को कन्सोलिडेट नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः प्रकरण के न्यायपुर्ण हेतु पुर्व राजस्व वाद संख्या 40/2018 अनवान दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद 25/2019 अनवान हंजा वगैरा बनाम डूँगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दोनो वादो को कन्सोलिडेट कर दोनों में निर्णय एक साथ पारित किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की दलीलो को सुना गया। एवं न्यायालय में लंबित वादी दुदाराम द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 40/2018 अनवान दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 25/2019 अनवान हंजा वगैरा बनाम डूँगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। दोनो पत्रावलियों के अवलोकन से पाया गया कि दोनो ही वादो में वर्णित भूमि समान है, पक्षकार भी समान है। वादी दुदाराम द्वारा पुर्व में प्रस्तुत वाद 40/2018 दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा केवल विभाजन का वाद था, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2019 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री भी जारी की जा चुकी है। जिस वाद में प्रार्थीगण को पक्षकार ही नहीं	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

बनाया गया है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा नया वाद संख्या 25/2019 हंजा वगैरा बनाम डूँगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा खातेदारी एवं विभाजन का वाद पेश किया है। जिसमें पुर्व वाद में वर्णित सभी पक्षकार मौजुद हैं। जिससे प्रकरण के न्याय पुर्ण निर्णय के लिये घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत वाद के निस्तारण के पश्चात् ही विभाजन उचित रहेगा। जिससे प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता हैं एवं न्यायालय में लंबित राजस्व वाद संख्या 40/2018 दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या–25/2019 हंजा वगैरा बनाम डूँगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ कंसोलिडेट किया जाता है। विभाजन के वाद में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर राजस्व वाद संख्या 25/2019 के संलग्न होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner